अनुसूची–14 फर्म सं0–562

आदेश – पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम– 129)

(1)

आदेश – पत्रक– ता0 .... से .... तक।

जिला –गढवा विविध वाद सं0–09 / 2020–21

केश का प्रकार– अवैध रूप से दखल–कब्जा करने के संबंध में।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
14.08.2020	अपर समाहर्त्ता, गढ़वा के पत्रांक–682 / रा0 दिनांक–17.07.2020 द्वारा प्राप्त पत्र में संलग्न आवेदन में आवेदक श्री श्याम किशोर तिवारी पिता–स्व0 चन्द्रिका तिवारी ग्राम–चन्द्रिका भवन गायत्री नगर पिपरा कला, गढ़वा द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्र में बिन्दुवार उल्लेख किया गया है जो निम्न प्रकार हैं :–(01) ग्राम–पीपरा कला गढ़वा के प्लॉट संख्या–113 में मेरा 05 डीसमिल जमीन है। जिसके लगान रसीद की प्रति संलग्न है। (02) हमारे बगल में इसी 113 प्लॉट में ओमकार तिवारी का 6 + 4 कुल 10 डीसमिल जमीन है। जिस पर उन्हे प्रधान मंत्री आवास योजना से गृह निर्माण आवंटित है। (03) मैं रांची में रहता हूँ। मुझे सूचना मिली की मेरे जमीन पर ओंमकार तिवारी द्वारा अतिक्रमण कर गढ़ढा खोदा जा रहा है। (04) मैं जमीन पर जाकर मना किया तो (A)ओंमकार तिवारी पिता–कुलवन्त तिवारी उनकी पतोहू (B) राधा देवी पति–आन्नद तिवारी तथा दो अन्य औरत के साथ मुझे गंदी–गंदी गाली देने लगे एवं राधा देवी ने ईट चलाकर मारा जिससे सिर में हल्की चोट आयी। उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि (i) मेरे जमीन पर अवैध निर्माण को तुरंत रोका जाय। (ii) ओंमकार तिवारी का 10 डीसमिल जमीन मापकर हमारे जमीन से अलग कर दिया जाय जिससे मै अपने जमीन तथा ओंमकार तिवारी के जमीन के बीच दिवार बना सकु। दिवार निर्माण के समय महिला बल की व्यवस्था की जाय। (iii) ओंमकार तिवारी, राधा देवी तथा दो अन्य औरतों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाय। ओंमकार तिवारी के पास रंका बौंलिया में 50 एकड़ जमीन है। आवेदक द्वारा अवैध रूप से दखल–कब्जा करने का अनुरोध किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की गई जिसके आलोक में अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन / प्रस्ताव एवं नक्शा समर्पित किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्राम–पीपरा कला थाना संख्या–342 के खाता संख्या–14 प्लॉट संख्या–113 आवेदित रकबा–0.05 एकड़ भूमि का जांच अंचल अमीन के साथ अंचल निरीक्षक की उपस्थिति में किया गया, पाया कि स्थल पर जिस भूमि को आवेदक श्री श्याम किशोर तिवारी अपनी भूमि बता रहे है, उस भूमि पर श्री ओंमकार नाथ तिवारी का दखल–कब्जा है, जिस पर पूर्व से ही अंश भाग पर मकान बना था और शेष भाग पर वर्तमान में मकान बनाया जा रहा है। उपरोक्त भूमि ओंमकारनाथ तिवारी ने दो बिक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया है। प्रथम विक्रय पत्र संख्या–2665 दिनांक– 09.02.1974 से अम्बिका तिवारी एवं ओंमकारनाथ तिवारी ने विक्रेता सीता राम बिन्द से रकबा 0.12 एकड़ भूमि क्रय किया है, जिसकी जमाबंदी पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–96 / 1 पर कायम है। दूसरा विक्रय पत्र संख्या–1316 दिनांक–19.03.1969 विक्रेता विगन राम बिन्द से क्रेता लालमणी देवी पति–ओंमकारनाथ तिवारी ने उपरोक्त खाता प्लॉट में रकबा–0.04 एकड़ भूमि क्रय किया है, जिसकी जमाबंदी पृष्ठ संख्या–103 / 1 पर चल रहा है। इस तरह श्री ओंमकारनाथ तिवारी, अम्बिका तिवारी एवं श्रीमती लालमणी देवी पति–ओंमकार नाथ तिवारी के द्वारा खाता संख्या–14 प्लॉट संख्या–113 में 0.16 एकड़ भूमि क्रय किया गया है। वर्तमान में अमीन के प्रतिवेदन के अनुसार तीनों लोगों का मिलाकर 0.15 1/2 एकड भूमि पर दाखिल–काबीज है। इनकी भूमि का विवरण इनके केवाला के अनुसार निम्नवत् हैं :–	P.No-119 02/12/2020

Scanned with CamScanner

मौजा / थाना सं0	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5
पीपरा कला 342	14	113	0.12	उ0 मौज बिक्रेता (सीता राम बिन्द / लालजी बिन्द / गुलाब बिन्द) द0 पुराना सड़क प0 विगन बिन्द अन्य प0 आलोक कुमार
	14	113	0.04	उ0 गुलाब बिन्द द0 ओंकार नाथ तिवारी पू0 मौज बिक्रेता प0 राम प्रसाद गुप्ता

वर्तमान में इनके द्वारा बनायी गई मकान एवं चाहरदिवारी के अनुसार जो भूमि है उसकी चौहदी निम्न प्रकार हैं :– उ0 जवाहिर साह वो योगेन्द्र तिवारी, द0 रास्ता, पू0 गोरख तिवारी एवं अन्य एवं प0 अशोक केशरी वो आलोक कुमार आवेदक श्री श्याम किशोर तिवारी ने केवाला संख्या–6727 दिनांक–27.10.1983 दिखाया जिसमें बिक्रेता बालमुकुन्द तिवारी पिता–स्व0 रघुनन्दन तिवारी तथा क्रेता श्याम विहारी तिवारी वो श्याम किशोर तिवारी हैं। भूमि का विवरण निम्नवत् हैं :–मौजा–पीपरा कला थाना संख्या–342 खाता संख्या–14 प्लॉट संख्या–113 रकबा–0.05 एकड़ भूमि का चौहदी उ0 रामनाथ बिन्द, द0 रास्ता, पू0 बिहार सरकार एवं प0 जगदीश प्रसाद जायसवाल इस चौहदी में वर्तमान में निम्नांकित लोगों का घर मकान बना हुआ है। (1) दशरथ राम पिता–दिन दयाल राम (2) गोरख तिवारी (3) कृष्ण कुमार यादव (4) सुशीला देवी (5) लक्ष्मण तिवारी (6) चन्द्रिका सिंह एवं अन्य का मकान बना है, जिसमें शांति पूर्व निवास करते आ रहे है।

इस तरह आवेदक के भूमि की चौहदी एवं विपक्षी के भूमि की चौहदी भिन्न–भिन्न है। आवेदक जिस भूमि पर दावा कर रहे है उस भूमि की चौहदी उनके द्वारा खरीदी गयी भूमि के केवाला में दर्ज भूमि की चौहदी से मैच नही करता है। वर्तमान में आवेदक का अपने खरीदी प्लॉट के किसी भी भाग पर दखल नही पाया गया। ऐसे में इनके द्वारा श्री ओंमकार नाथ तिवारी के दखल–कब्जे की भूमि पर किया जा रहा दावा सही नहीं है। आवेदक चाहे तो अपनी खरीदी भूमि के लिए व्यवहार न्यायालय से Title एवं Possision की घोषण कराकर दखल–कब्जा पा सकते है।

अंचल अमीन द्वारा प्रस्तावित भूमि जांच प्रतिवेदन एवं नजरी नक्शा समर्पित किया गया है। समर्पित जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम–आवेदक श्याम किशोर तिवारी ग्राम–पीपरा कला के द्वारा आवेदित भूमि का खाता संख्या–14 प्लॉट संख्या–113 का मापी राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक गढ़वा के उपस्थिति में मापी किया। मापी के क्रम में पाया कि प्लॉट संख्या–113 रकबा–0.15 1/2 एकड़ भूमि है। जिस पर ओमकार नाथ तिवारी के दखल है तथा मकान निर्माण कर रहे है। ओमकार नाथ तिवारी के दखल वाले भूमि पर श्याम किशोर तिवारी दावा करते है कि यह भूमि मेरा केवाला की भूमि है। श्याम किशोर तिवारी के केवाला में दर्ज चौहदी उक्त भूमि से नहीं मिलता जुलता है तथा दखल भी श्याम किशोर तिवारी का नही है।

राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन कार्यालय पत्रांक–592 दिनांक–28.07.2020 से अपर समाहर्त्ता, गढ़वा को प्रेषित किया गया। अपर समाहर्त्ता, गढ़वा के अपने कार्यालय पत्रांक–788/रा0 दिनांक–14.08.2020 से सूचित किया गया है कि श्री श्याम किशोर तिवारी ने मापी रिपोर्ट पर आपति दर्ज कराया गया है। साथ ही अपर समाहर्त्ता, गढ़वा के द्वारा भूमि की पुनः मापी का निर्देश दिया गया।

उक्त के आलोक में नोटिश निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक–20.082020 को रखें।

15/8

अंचल अधिकारी,
गढ़वा

Scanned with CamScanner

[illegible]/8/2020

अभिलेख उपस्थापित।
आवेदक तथा विपक्षी उपस्थित हैं। [illegible]
[illegible] 1973 के
[illegible] के
[illegible]
लगभग 12 डी० जमीन का कुछ [illegible]
वर्ष 1979 में इनके द्वारा अपनी पत्नी [illegible]
[illegible] 4 डी० जमीन का क्रय किया है
साथ ही कुछ जमीन Agreement से [illegible]
[illegible] रजिस्ट्री नहीं हो सकी। इनके द्वारा
[illegible] के कागज [illegible]
[illegible] दाखिल करने हेतु समय की
मांग किया गया।
स्थल जाँच हेतु दिनांक 26/8/2020 की
तिथि निर्धारित की जाती है।
अभिलेख 27/8/2020 को रखें।

[illegible]
24/8/2020

[illegible].8.2020

अभिलेख उपस्थापित।
उभयपक्ष उपस्थित हैं। विपक्षी एवं
आवेदक को अपनी जमीन की चौहद्दी एवं
अवस्थिति (Location) को स्पष्ट रूप से
करने का निर्देश दिया गया। चूंकि
जो चौहद्दी उनके Sale Deed में अंकित है
उससे बाहर मिलता है, इसे भी स्पष्ट करने
का [illegible]।

	द्वितीय पक्ष ने जवाब दाखिल करने हेतु समय का मांग किया गया। अभिलेख दिनांक 11.09.2020 को रखें। [signature] 27.8.2020
11.9.2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक ने शारीरिक अस्वस्थता है कि वे उपस्थित नहीं है। द्वितीय पक्ष उपस्थित है। इनके द्वारा समय का मांग किया गया कि वह व्यस्तता SDO Court के निकासन हैं एवं विविधवाद सं० 143 of 2020 U/s 144 of CrPC, SDM Garhwa में मामला में व्यस्त हैं। अभिलेख दिनांक 25/9/2020 को रखें। [signature] 11-9-2020
25/9/20	अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख दि० 13/10/2020 को रखें। [signature] 25/9/20
13.10.20	अभिलेख उपस्थापित किया गया। उभय पक्ष अनुपस्थित। अन्य सरकारी कार्यों में व्यस्तता होने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई की अगली तिथि 03/11/20 को निर्धारित किया जाता है। [signature] अंचल अधिकारी [illegible]

की संख्या तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
[illegible].20	अभिलेख उपस्थापित किया गया। उभय पक्ष अनुपस्थित। अन्य सरकारी कार्य में व्यस्तता होने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी सुनवाई की अगली तिथि 10.11.20 को निर्धारित की जाती है। [illegible]	
[illegible]/20	[illegible]	

(5)

न्यायालय अंचल अधिकारी, गढ़वा। श्री श्याम किशोर तिवारी
Vs
ओंकारनाथ तिवारी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

7

.11-2020

आदेश

अपर समाहर्त्ता, गढ़वा के पत्रांक–682/रा0 दिनांक–17.07.2020 द्वारा प्राप्त पत्र में संलग्न आवेदन में आवेदक श्री श्याम किशोर तिवारी पिता–स्व0 चन्द्रिका तिवारी ग्राम–चन्द्रिका भवन गायत्री नगर पिपरा कला, गढ़वा द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त हुआ हैं। आवेदन पत्र में बिन्दुवार उल्लेख किया गया है जो निम्न प्रकार हैं :–(01) ग्राम–पीपरा कला गढ़वा के प्लॉट संख्या–113 में मेरा 05 डीसमिल जमीन है। जिसके लगान रसीद की प्रति संलग्न है। (02) हमारे बगल में इसी 113 प्लॉट में ओमकार तिवारी का 6 + 4 कुल 10 डीसमिल जमीन है। जिस पर उन्हे प्रधान मंत्री आवास योजना से गृह निर्माण आवंटित है। (03) मैं रांची में रहता हूँ। मुझे सूचना मिली की मेरे जमीन पर ओंमकार तिवारी द्वारा अतिक्रमण कर गढ्ढा खोदा जा रहा है। (04) मैं जमीन पर जाकर मना किया तो (A)ओंमकार तिवारी पिता–कुलवन्त तिवारी उनकी पतोहू (B) राधा देवी पति–आन्नद तिवारी तथा दो अन्य औरत के साथ मुझे गंदी–गंदी गाली देने लगे एवं राधा देवी ने ईट चलाकर मारा जिससे सिर में हल्की चोट आयी। उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि (i) मेरे जमीन पर अवैध निर्माण को तुरंत रोका जाय। (ii) ओंमकार तिवारी का 10 डीसमिल जमीन मापकर हमारे जमीन से अलग कर दिया जाय जिससे मैं अपने जमीन तथा ओंमकार तिवारी के जमीन के बीच दिवार बना सकु। दिवार निर्माण के समय महिला बल की व्यवस्था की जाय। (iii) ओंमकार तिवारी, राधा देवी तथा दो अन्य औरतों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाय। ओंमकार तिवारी के पास रंका बीलिया में 50 एकड़ जमीन है। आवेदक द्वारा अवैध रूप से दखल–कब्जा करने का अनुरोध किया गया है।

प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई जिसके आलोक में अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन/प्रस्ताव एवं नक्शा समर्पित किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्राम–पीपरा कला थाना संख्या–342 के खाता संख्या–14 प्लॉट संख्या–113 आवेदित रकबा–0.05 एकड़ भूमि का जांच अंचल अमीन के साथ अंचल निरीक्षक की उपस्थिति में किया गया, पाया कि स्थल पर जिस भूमि को आवेदक श्री श्याम किशोर तिवारी अपनी भूमि बता रहे है, उस भूमि पर श्री ओंमकार नाथ तिवारी का दखल–कब्जा है, जिस पर पूर्व से ही अंश भाग पर मकान बना था और शेष भाग पर वर्तमान में मकान बनाया जा रहा है। उपरोक्त भूमि ओंमकारनाथ तिवारी ने दो विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया है। प्रथम विक्रय पत्र संख्या–2665 दिनांक– 09.02.1974 से अम्बिका तिवारी एवं ओंमकारनाथ तिवारी ने विक्रेता शीतल राम बिन्द से रकबा 0.12 एकड़ भूमि क्रय किया है, जिसकी जमाबंदी पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–96/1 पर कायम है। दूसरा विक्रय पत्र संख्या–1316 दिनांक–19.03.1969 [illegible] विक्रेता विगन राम बिन्द से क्रेता लालमनी देवी पति–ओंमकारनाथ तिवारी ने उपरोक्त खाता प्लॉट में रकबा–0.04 एकड़ भूमि क्रय किया है, जिसकी जमाबंदी पृष्ठ संख्या–103/1 पर चल रहा है।

इस तरह श्री ओंमकारनाथ तिवारी, अम्बिका तिवारी एवं श्रीमती लालमनी देवी पति–ओंमकार नाथ तिवारी के द्वारा खाता संख्या–14 प्लॉट संख्या–113 में 0.16 एकड़ भूमि क्रय किया गया है। वर्तमान में अमीन के प्रतिवेदन के अनुसार तीनों लोगों का मिलाकर 0.21 [illegible] 1/2 एकड़ भूमि पर दाखिल–खारिज है। इनकी भूमि का विवरण इनके केवाला के अनुसार निम्नवत् है :–

मौजा/थाना नं0	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़ में)	चौहद्दी
1	2	3	4	5
पीपरा कला 342	14	113	0.12	उ0 मेंड विक्रेता [illegible] बिन्द/[illegible] बिन्द/गुलाब बिन्द) द0 गुलाब [illegible], पू0 [illegible] बिन्द [illegible] प0 [illegible]
	14	113	0.04	उ0 गुलाब बिन्द द0 ओंकार नाथ तिवारी

				प्र0 नीज बिक्रेता प0 राम प्रसाद गुप्ता

वर्तमान में इनके द्वारा बनायी गई मकान एवं चाहरदिवारी के अनुसार जो भूमि है उसकी चौहदी निम्न प्रकार हैं :– उ0 जवाहिर साह वो योगेन्द्र तिवारी, द0 रास्ता, पू0 गोरख तिवारी एवं अन्य एवं प0 अशोक केशरी वो आलोक कुमार।आवेदक श्री श्याम किशोर तिवारी ने केवाला संख्या–6727 दिनांक–27.10.1983 दिखाया जिसमें बिक्रेता बालमुकुन्द तिवारी पिता–स्व0 रधुनन्दन तिवारी तथा क्रेता श्याम विहारी तिवारी वो श्याम किशोर तिवारी हैं। भूमि का विवरण निम्नवत् हैं :–मौजा–पीपरा कला थाना संख्या–342 खाता संख्या–14 प्लॉट संख्या–113 रकबा–0.05 एकड़ भूमि का चौहदी उ0 रामनाथ बिन्द, द0 रास्ता, पू0 बिहार सरकार एवं प0 जगदीश प्रसाद जायसवाल इस चौहदी में वर्तमान में निम्नांकित लोगों का घर मकान बना हुआ है। (1) दशरथ राम पिता–दिन दयाल राम (2) गोरख तिवारी (3) कृष्ण कुमार यादव (4) सुशीला देवी (5) लक्ष्मण तिवारी (6) चन्द्रिका सिंह एवं अन्य का मकान बना है, जिसमें शांति पूर्व निवास करते आ रहे है।

इस तरह आवेदक के भूमि की चौहदी एवं विपक्षी के भूमि की चौहदी भिन्न–भिन्न है। आवेदक जिस भूमि पर दावा कर रहे है उस भूमि की चौहदी उनके द्वारा खरीदी गयी भूमि के केवाला में दर्ज भूमि की चौहदी से मैच नही करता है। वर्तमान में आवेदक का अपने खरीदी प्लॉट के किसी भी भाग पर दखल नही पाया गया।

उभय पक्ष को सुना गया। राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन के द्वारा पुनः स्थल जांच कर प्रतिवेदित किया गया है कि उपरोक्त विषयक मामले में भूमि का सत्यापन स्थल पर किया गया एवं पाया गया कि :–

1. श्याम किशोर तिवारी ने केवाला संख्या–6727 दिनांक–27.10.1983 से मौजा–पीपरा कला के खाता संख्या–14 प्लॉट संख्या–113 रकबा–0.05 एकड़ की भूमि की खरीद की गई है जिसका नामांतरण होकर पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–76/19 पर मांग चलता है।
2. लालमणि देवी पति–ओंकारनाथ तिवारी ने केवाला संख्या–1317 दिनांक–26.09.1979 एवं ओंमकारनाथ तिवारी पिता–कुलवन्त तिवारी के केवाला संख्या–2655 दिनांक–26.09.1973 से मौंजा–पीपरा कला के खाता संख्या–14 प्लॉट संख्या–113 रकबा क्रमशः 0.04 एवं 0.06 एकड़ का कुल रकबा–0.10 एकड़ भूमि का क्रय किये हैं, जिसका मांग पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–103/1 एवं 96/1 पर चलता है।
3. भौतिक सत्यापन में पाया गया कि श्री ओंकारनाथ तिवारी के दखल कब्जे में 0.15 एकड़ भूमि है जबकि इनके द्वारा कुल 0.10 एकड़ भूमि का ही क्रय किया गया है। इसी तरह इनके द्वारा 0.05 एकड़ अधिक भूमि का अवैध तरीके से दखल करके रखा गया है, प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि ओंकारनाथ तिवारी ने श्री श्याम किशोर तिवारी के द्वारा क्रय की गई भूमि को ही अपने अवैध दखल मे रखा गया है।
4. विषयांकित जमीन का नजरी नक्शा संलग्न है। श्याम किशोर तिवारी द्वारा दावा किये जाने वाले 0.0418 एकड़ जमीन लाल विन्दुओं द्वारा दिखाया गया है।

अतः संबंधित पक्ष अवैध दखल हटाने के लिए सक्षम न्यायालय जा सकते हैं। इस तरह ओंमकार नाथ तिवारी के दखल–कब्जे में 0.15 एकड़ भूमि है, किन्तु उनके द्वारा 0.10 एकड़ भूमि का ही निबंधित डीड से क्रय किया गया है। शेष 0.05 एकड़ भूमि के संबंध में इनसे पृच्छा करने पर बताया गया है कि इस भूमि को सदा एग्रीमेंट से लिये है जो पंजीकृत नही हैं, किन्तु इनके द्वारा इस सदा ऐग्रीमेंट को भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस तरह यह पाया गया कि 0.05 एकड़ भूमि पर श्री ओंमकार नाथ तिवारी का दावा का वैध आधार नहीं है, किन्तु इनके दखल–कब्जे में है। दूसरी तरफ श्री श्याम किशोर तिवारी के पास 0.05 एकड़ भूमि का पंजीकृत डीड है, किन्तु दखल–कब्जा नहीं है। ऐसे में यह विवाद दखल–कब्जे एवं हकियत से संबंधित है जिसका निर्धारण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही आता है। अतः पक्षकार चाहे तो इनके लिए सक्षम न्यायालय में जा सकते है।

13.11.20

अंचल अधिकारी,
गढ़वा

Scanned with CamScanner